खाद्य निगम अधिनियम, 1964

(1964 का अधिनियम संख्यांक 37)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[10 दिसम्बर, 1964]

**खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार करने के प्रयोजन के लिए
तथा तत्सम्बन्धित और तदानुषंगिक विषयों के लिए
खाद्य निगमों के स्थापनार्थ उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम खाद्य निगम अधिनियम, 1964 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार [1]* * * सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निगम" से धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम अभिप्रेत है ;

(ख) "खाद्य निगम" से धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम या धारा 17 के अधीन स्थापित राज्य खाद्य निगम अभिप्रेत है ;

[3][(खख) खाद्य पदार्थ में खाद्य तिलहन और तेल है ;]

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में तत्समय अन्तर्विष्ट बैंक अभिप्रेत है ;

(ङ) "राज्य खाद्य निगम" से धारा 17 के अधीन स्थापित राज्य खाद्य निगम अभिप्रेत है ;

(च) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

भारतीय खाद्य निगम

3. भारतीय खाद्य निगम की स्थापना—(1) उस तारीख[4] जो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निगम की स्थापना करेगी जो भारतीय खाद्य निगम नाम से ज्ञात होगा ।

(2) यह निगम पूर्वोक्त नाम का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

4. कार्यालय और अभिकरण—(1) निगम का प्रधान कार्यालय मद्रास में या ऐसे अन्य स्थान में होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

[5][(2) निगम भारत में या उससे बाहर अन्य स्थानों में कार्यालय या अभिकरण स्थापित कर सकेगा :

---

[1] 1972 के अधिनियम सं० 67 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[2] 17 दिसम्बर, 1964 देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1808, तारीख 16 दिसम्बर, 1964, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i) पृ० 869.
[3] 1972 के अधिनियम सं० 67 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1 जनवरी, 1965 देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1809, तारीख 16 दिसम्बर, 1964, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i) पृ० 869.
[5] 1972 के अधिनियम सं० 67 की धारा 4 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु ऐसा कोई कार्यालय या अभिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, भारत से बाहर किसी स्थान में स्थापित नहीं किया जाएगा ।]

COURT BOOK

5. निगम की पूंजी—(1) निगम की आरम्भिक पूंजी एक सौ करोड़ रुपयों से अनधिक इतनी धनराशि होगी जितनी केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निगम की पूंजी उतनी तक और ऐसी रीति से बढ़ा सकेगी जो कि वह सरकार अवधारित करे ।

(3) ऐसी पूंजी की, संसद् द्वारा उस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा सम्यक् रूप से विनियोजित किए जाने के पश्चात् और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, समय-समय पर उस सरकार द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी ।

6. प्रबंध—(1) निगम के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड में निहित होगा जो सब ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सब ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा प्रयोग में लाई जा सकें या की जा सकें ।

(2) निदेशक बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में उत्पादक और उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखते हुए, कारबार के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा और नीति के प्रश्नों पर उसका मार्गदर्शन ऐसे अनुदेशों द्वारा होगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं ।

(3) यदि कोई संदेह उठे कि क्या कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

7. निदेशक बोर्ड—(1) निगम का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के उन मंत्रालयों का, जिनके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत—

(i) खाद्य,

(ii) वित्त, तथा

(iii) सहकारिता,

के विषय हों, क्रमश: प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन निदेशक ;

(ग) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागार निगम का प्रबन्ध निदेशक, पदेन ;

(घ) एक प्रबन्ध निदेशक ;

(ङ) छह अन्य निदेशक ।

(2) निगम के वे सब निदेशक, जो उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक से भिन्न हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध निदेशक—

(क) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निदेशक बोर्ड उसे सौंपे या प्रत्यायोजित करे ; तथा

(ख) ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो निदेशक बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियत करे :

परन्तु प्रथम प्रबन्ध निदेशक ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

(4) उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि निगम के उन निदेशकों की, जो उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक से भिन्न हों, पदावधि और उनकी आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति तथा निगम के निदेशकों की नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

8. निदेशक के पद के लिए निरर्हता—निगम का निदेशक नियुक्त होने के लिए और निदेशक होने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित होगा—

(क) यदि वह दिवालिया न्यायनिर्णीत हो या किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो, या उसने अपने ऋणों का संदाय निलम्बित कर दिया हो या अपने लेनदारों से शमन कर लिया हो ; अथवा

(ख) यदि वह विकृत-चित्त हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया हुआ हो ; अथवा

(ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध हो या किया गया हो जिसमें कि केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो ; अथवा

COURT BOOK

(घ) यदि वह सरकार की या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया हो ; अथवा

(ङ) अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक होने की दशा के सिवाय, यदि वह भारतीय खाद्य निगम या किसी राज्य खाद्य निगम का वैतनिक अधिकारी हो ।

9. निदेशकों का हटाया जाना और पदत्याग—(1) केन्द्रीय सरकार, निगम से परामर्श के पश्चात्, प्रबन्ध निदेशक को, प्रस्थापित हटाए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय उसे पद से हटा सकेगी ।

(2) निदेशक बोर्ड किसी भी ऐसे निदेशक को पद से हटा सकेगा जो—

(क) धारा 8 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अधीन हो या हो गया हो ; अथवा

(ख) निदेशक बोर्ड की इजाजत के बिना उसकी तीन से अधिक क्रमवर्ती बैठकों से, उसकी अनुपस्थिति की माफी के लिए बोर्ड की राय में पर्याप्त हेतुक के बिना, अनुपस्थित रहा हो ।

(3) निगम का निदेशक अपने पद का त्याग, उसकी लिखित सूचना केन्द्रीय सरकार को देकर, कर सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

10. बैठक—(1) निगम का निदेशक बोर्ड ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार से (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है) सम्बन्धित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष, या यदि किसी कारण से वह किसी बैठक में हाजिर होने में असमर्थ हो तो अपनी बैठक में उपस्थित निदेशकों द्वारा निर्वाचित कोई अन्य निदेशक, बैठक का सभापतित्व करेगा ।

(3) उन सब प्रश्नों का विनिश्चय, जो बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आएं, उपस्थित और मत देने वाले निदेशकों के बहुमत से किया जाएगा, और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का, या उसकी अनुपस्थिति में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का, एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

11. सलाहकार समितियां—(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियों का गठन निगम के परामर्श से कर सकेगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर बनेगी जो विहित की जाएं ।

(2) ऐसी किसी भी सलाहकार समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार या निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनों से सम्बन्धित किसी ऐसे विषय के बारे में सलाह दे, जिस पर उसकी सलाह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या निगम द्वारा मांगी जाए ।

(3) सलाहकार समितियों के सम्बन्ध में व्यय निगम द्वारा पूरे किए जाएंगे ।

12. निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी—(1) केन्द्रीय सरकार, निगम से परामर्श के पश्चात्, किसी व्यक्ति को निगम का सचिव नियुक्त करेगी ।

(2) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, निगम अन्य ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण संपादन करने के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

(3) निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति, सेवा की शर्तें और वेतनक्रम—

(क) सचिव के विषय में, ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं,

(ख) अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के विषय में, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

[1][**12क. कुछ दशाओं में सरकारी कर्मचारियों का निगम को अन्तरण करने के लिए विशेष उपबन्ध**—(1) जहां केन्द्रीय सरकार किन्हीं ऐसे कृत्यों का, जो धारा 13 के अधीन निगम के कृत्य हैं, संपादन करने से परिविरत हो गई है या परिविरत हो जाती है वहां केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा और ऐसी तारीख या तारीखों से (जो पहली जनवरी, 1965 से पूर्व न पड़ने वाली किसी तारीख तक भूतलक्षी हो सकेगी, या भविष्यलक्षी हो सकेगी) जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों को निगम को अन्तरित कर दे जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभाग में, जिसमें खाद्य के सम्बन्ध में कार्य होता है या उसके किसी अधीनस्थ या संलग्न विभाग में सेवा करते हैं और उन कृत्यों के करने में लगे हुए हैं :

[1] 1968 के अधिनियम सं० 57 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश ऐसे विभाग का कार्यालय के किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के बारे में नहीं किया जाएगा जिसने ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निगम को अन्तरित करने की केन्द्रीय सरकार की प्रस्थापना की बाबत, निगम का कर्मचारी न बनने का अपना आशय ऐसे समय के भीतर प्रज्ञापित कर दिया हो जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय केन्द्रीय सरकार यथाशक्य उन कृत्यों पर, जिनका सम्पादन करने से केन्द्रीय सरकार परिविरत हो गई है या परिविरत हो जाती है और उन क्षेत्रों पर, जिनमें ऐसे कृत्यों का सम्पादन किया गया है या किया जा रहा है, विचार करेगी ।

(3) उपधारा (1) अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अन्तरित कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, अन्तरण की तारीख को और उससे, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं रह जाएगा और निगम का कर्मचारी ऐसे पदनाम से हो जाएगा और जिसे निगम अवधारित करे, और [1][उपधारा (4), (4क), (4ख), (4ग), (5) और (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए] पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत जिनके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी और भविष्य निधि भी है, इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियमों से शासित होगा तथा जब तक उसका नियोजन निगम द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक वह निगम का अधिकारी या कर्मचारी बना रहेगा ।

(4) प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अन्तरित किया गया है, अन्तरण की तारीख से छह मास के भीतर इस बाबत अपने विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में करेगा कि उसे—

(क) वह वेतनक्रम, जो अन्तरण की तारीख से ठीक पहले उसके द्वारा सरकार के अधीन धारित पद को लागू था या वह वेतनक्रम जो निगम के अधीन उस पद को, जिस पर उसे अन्तरित किया है, लागू है ;

(ख) वे छुट्टी, भविष्य निधि, निवृत्ति या सेवा के अंत में मिलने वाले अन्य फायदे जो केन्द्रीय सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं या वे छुट्टी, भविष्य निधि या सेवा के अन्त में मिलने वाले अन्य फायदे जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन निगम के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं,

लागू होंगी और ऐसा विकल्प एक बार प्रयुक्त किए जाने पर अन्तिम होगा :

परन्तु खण्ड (क) के अधीन प्रयुक्त विकल्प केवल उसी पद की बाबत लागू होगा जिस पर ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निगम को अन्तरित किया गया है और निगम के अधीन किसी उच्चतर पद पर नियुक्त होने पर वह केवल उस वेतनक्रम का पात्र होगा जो उस उच्चतर पद को लागू हो :

परन्तु यह और कि यदि अपने अन्तरण की तारीख से ठीक पहले ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकार के अधीन या तो किसी छुट्टी से हुई रिक्ति में या विनिर्दिष्ट कालावधि की किसी अन्य रिक्ति में किसी उच्चतर पद पर कार्य कर रहा है, तो अन्तरण होने पर उसका वेतन ऐसी रिक्ति की अनवसित कालावधि के लिए संरक्षित किया जाएगा और तत्पश्चात् वह उस वेतनक्रम का, जो सरकार के अधीन उस पद को लागू है जिस पर वह प्रतिवर्तित होता या उस वेतनक्रम का, जो निगम के अधीन उस पद को लागू है जिस पर उसे अन्तरित किया गया है, इन दोनों में से जिसके लिए भी वह अपने विकल्प का प्रयोग करे, हकदार होगा :

परन्तु यह और भी कि जब कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के किसी ऐसे विभाग में, जो खाद्य के सम्बन्ध में कार्य करता हो या उसके किसी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों में सेवा करता हो, ऐसे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के, जो उस विभाग या कार्यालय में ऐसे अन्तरण के पूर्व, उससे ज्येष्ठ था, निगम को अन्तरित किए जाने के पश्चात्, उस विभाग या कार्यालय में किसी उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया गया है तो वह अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे ऐसे उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया गया है, निगम को अन्तरित किए जाने पर, केवल उस वेतनक्रम का, जो उस पद को लागू है जिसे वह, यदि प्रोन्नति न हुई होती तो, धारित करता या उस वेतनक्रम का, जो निगम के अधीन उस पद को लागू है जिस पर वह अन्तरित किया गया है, इन दोनों में से जिसके लिए भी वह अपने विकल्प का प्रयोग करे, हकदार होगा ।

[2][(4क) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसा प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन अन्तरण का आदेश, खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ की तारीख के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् नियत दिन कहा गया है) पूर्व किया गया है, चाहे उसने नियत दिन के पूर्व उपधारा (4) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो या नहीं, ऐसे विकल्प का प्रयोग नियत दिन से छह मास के भीतर करेगा ; तथा

(ख) ऐसा प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन अन्तरण का आदेश नियत दिन के पश्चात् किया जाए, ऐसे आदेश की तारीख से छह मास के भीतर उपधारा (4) के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करेगा,

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा (31-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा (31-12-1976 से) अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

तथा ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसा विकल्प एक बार प्रयुक्त किए जाने पर अन्तिम होगा :

परन्तु जब नियत दिन के पूर्व उपधारा (4) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी,—

(i) नियत दिन के पूर्व मर गया है या निवृत्त हो गया है अथवा इस उपधारा के अधीन यथापेक्षित विकल्प का प्रयोग करने के पूर्व नियत दिन के पश्चात् मर जाता है या निवृत्त हो जाता है, अथवा

(ii) इस उपधारा द्वारा यथापेक्षित विकल्प का प्रयोग नहीं करता है,

तब उसके द्वारा पहले ही प्रयोग किए गए विकल्प को उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया समझा जाएगा ।

(4ख) जब कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी,—

(क) ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के बारे में उपधारा (1) के अधीन अन्तरण का आदेश किए जाने के पश्चात् किन्तु, यथास्थिति, उपधारा (4) के अधीन या उपधारा (4क) की अपेक्षानुसार विकल्प का प्रयोग करने के पूर्व मर गया है या निवृत्त हो गया है अथवा मर जाता है या निवृत्त हो जाता है, अथवा

(ख) ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के बारे में उपधारा (1) के अधीन अन्तरण का आदेश किए जाने के पूर्व मर गया है या निवृत्त हो गया है अथवा मर जाता है या निवृत्त हो जाता है,

तब उपधारा (4) में या उपधारा (4क) में किसी बात के होते हुए भी—

(i) खण्ड (क) के अधीन मामले में उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (4) के अधीन इस विकल्प का प्रयोग किया है ; अथवा

(ii) खण्ड (ख) के अधीन मामले में उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपधारा (1) के अधीन अन्तरण हुआ है और उसने उपधारा (4) के अधीन इस विकल्प का प्रयोग किया है,

कि उसे छुट्टी, भविष्य निधि, निवृत्ति या सेवा के अन्त में मिलने वाले अन्य वे फायदे लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय हैं :

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क) की कोई बात किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लागू नहीं होगी जिसको नियत दिन के पूर्व सेवा के अन्त में मिलने वाले उन फायदों का संदाय कर दिया गया है जो निगम के कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन अनुज्ञेय है किन्तु यदि ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा के अन्त में मिलने वाले फायदों के लिए निगम द्वारा किए गए अभिदायों की रकम नियत दिन से छह मास के भीतर एकमुश्त राशि में वापस कर देता है, तो वह लागू होगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के खण्ड (ख) की कोई बात किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लागू नहीं होगी जिसने निगम का कर्मचारी न बनने के अपने आशय की प्रज्ञापना उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन दे दी है ।

(4ग) जहां किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी ने उपधारा (4) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है या उपधारा (4क) या उपधारा (4ख) के साथ पठित उस उपधारा के अधीन वह इस विकल्प का प्रयोग करता है या उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने इस विकल्प का प्रयोग किया है कि उसे छुट्टी, भविष्य निधि या निवृत्ति या सेवा के अन्त में मिलने वाले अन्य वे फायदे लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं, वहां ऐसे फायदों की संगणना निगम में उसके द्वारा प्राप्त वेतन और भत्तों के आधार पर की जाएगी ।]

(5) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अन्तरित कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्राधिकारी के, जो निगम के अधीन वैसी ही या समतुल्य नियुक्ति करने के लिए सक्षम हो, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा न पदच्युत किया जाएगा और न पद से हटाया जाएगा ;

[1][(ख) ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा, या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं :]

[2][परन्तु ऐसी जांच ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा :]

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 53 की धारा 2 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं० 53 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

[1][परन्तु यह और कि] यह खण्ड—

(i) वहां लागू न होगा जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या पद से हटाया गया या पंक्ति से अवनत किया गया है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर वह सिद्धदोष हुआ है ; अथवा

(ii) वहां लागू न होगा जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति से अवनत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए ; अथवा

(iii) ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी को लागू नहीं होगा जिसे, निगम को अन्तरित किए जाने के पश्चात् खुले विज्ञापन और बाहरी व्यक्तियों के साथ प्रतियोगिता के आधार पर निगम के अधीन किसी उच्चतर पद पर नियुक्त किया गया है ।

(6) यदि यथापूर्वोक्त अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी की बाबत ऐसा कोई प्रश्न उठे कि उपधारा (5) में यथा निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो उस पर उस प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा जो उसे पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति से अवनत करने को सशक्त है ।

(7) उपधारा (1) की कोई भी बात केन्द्रीय सचिवालय सेवा या अन्य किसी सेवा के सदस्यों को या केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय से या किसी राज्य सरकार से या किसी संगठन से उस विभाग को जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है या उससे संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों में से किसी को भी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए व्यक्तियों को लागू नहीं होगी ।]

13. निगम के कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निगम का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण और विक्रय का काम करे ।

(2) यथापूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से—

(क) खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन की अभिवृद्धि भी ऐसे साधनों द्वारा कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे ;

(ख) चावल मिलें, आटा मिलें तथा खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के लिए अन्य उपक्रम भी स्थापित कर सकेगा या स्थापित करने में सहायता कर सकेगा ; तथा

(ग) अन्य ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जो विहित किए जाएं या जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों में से किसी के अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक हों ।

14. कार्यपालिका समिति और अन्य समितियां—(1) निगम का निदेशक बोर्ड एक कार्यपालिका समिति का गठन कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) बोर्ड का अध्यक्ष ;

(ख) प्रबन्ध निदेशक ; तथा

(ग) तीन अन्य निदेशक, जिनमें से एक अशासकीय व्यक्ति होगा ।

(2) निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होगा ।

(3) निदेशक बोर्ड के साधारण नियंत्रण, निदेशन और अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपालिका समिति, निगम की क्षमता में किसी भी विषय के बारे में कार्य करने के लिए सक्षम होगी ।

(4) निदेशक बोर्ड अन्य ऐसी समितियों का, जो चाहे पूर्णत: निदेशकों से या पूर्णत: अन्य व्यक्तियों से अथवा भागत: निदेशकों से और भागत: अन्य व्यक्तियों से, जैसा वह ठीक समझे, मिलकर बनी हों, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिनका वह विनिश्चय करे, गठन कर सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन गठित समिति ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार से (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है) सम्बन्धित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं ।

(6) समिति के सदस्यों को (जो बोर्ड के निदेशकों से भिन्न हों) समिति की बैठकों में हाजिर होने और निगम का अन्य कोई कार्य करने के लिए निगम द्वारा ऐसी फीसें और भत्ते दिए जाएंगे जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा नियत किए जाएं ।

[1] 1982 के अधिनियम सं० 53 की धारा 2 द्वारा "परन्तु" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

15. बोर्ड के या उसकी समिति के सदस्य द्वारा कुछ दशाओं में मत का न दिया जाना—निगम के निदेशक बोर्ड का या उसकी समिति का कोई ऐसा सदस्य, जिसका निदेशक बोर्ड के या उसकी समिति की किसी बैठक के समक्ष विचारार्थ आने वाले विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन-सम्बन्धी हित हों, सुसंगत परिस्थितियों के अपने ज्ञान में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठकों में अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा और वह प्रकटन, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य, बोर्ड या समिति के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में, जो उस विषय की बाबत हो, कोई भाग नहीं लेगा।

अध्याय 3

प्रबंध बोर्ड

16. प्रबन्ध बोर्ड, उनका गठन और उनके कृत्य—(1) केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार या सरकारों से इस निमित्त प्राप्त प्रार्थना पर या अन्यथा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए, जो एक दूसरे से लगे हुए हों, एक प्रबन्ध बोर्ड की स्थापना कर सकेगी, यदि उस राज्य या उन राज्यों में कोई राज्य खाद्य निगम काम न कर रहा हो।

(2) प्रबन्ध बोर्ड का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान में होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्रबन्ध बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) एक अध्यक्ष, जो भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) उक्त निगम का वरिष्ठतम कार्यपालक अधिकारी, जो प्रबंध बोर्ड के प्रधान कार्यालय में नियोजित हो ; तथा

(ग) दस से अनधिक अन्य सदस्य, जो उक्त निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (क) और (ग) में निर्दिष्ट प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे तथा उनकी नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(5) प्रबन्ध बोर्ड निगम को ऐसे विषयों पर सलाह देगा, जो साधारणतया या विनिर्दिष्टतया उसे निर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो निगम उसे प्रत्यायोजित करे।

(6) धारा 20, 21 और 25 के उपबन्ध, प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के सम्बन्ध में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राज्य खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं :

परन्तु धारा 20 के खण्ड (ङ) में महाप्रबन्धक के प्रति निर्देश का अर्थ यह किया जाएगा कि वह उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निगम के अधिकारी के प्रति निर्देश है।

(7) भारतीय खाद्य निगम, प्रबन्ध बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, ऐसा कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा जिसे वह उस बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के सम्पादनार्थ समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझे।

(8) प्रबन्ध बोर्ड, लिखित रूप में आदेश द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक या अधिक को अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का, जो बोर्ड ठीक समझे, प्रयोग और संपादन, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन, यदि कोई हों, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(9) प्रबन्ध बोर्ड ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो इस अधिनियम के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाए।

(10) जहां कोई प्रबन्ध बोर्ड—

(i) किसी राज्य के लिए, अथवा

(ii) दो या अधिक राज्यों के लिए,

स्थापित कर दिया गया हो वहां ऐसा बोर्ड—

(क) खण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, उस राज्य के लिए खाद्य निगम की स्थापना होते ही, तथा

(ख) खण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, ऐसे राज्यों में से किसी एक या अधिक के लिए ऐसे निगम की स्थापना होते ही,

विघटित हो जाएगा।

(11) जहां कोई प्रबन्ध बोर्ड उपधारा (10) के खण्ड (ख) के अधीन विघटित हो जाता है वहां केन्द्रीय सरकार उस राज्य या उन राज्यों के लिए, जिनके लिए कोई खाद्य निगम स्थापित न किया गया हो, एक नया प्रबन्ध बोर्ड स्थापित कर सकेगी।

(12) इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन के व्यय भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूरे किए जाएंगे।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 4

राज्य खाद्य निगम

17. राज्य खाद्य निगम की स्थापना—(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् उस राज्य के लिए एक खाद्य निगम की ऐसे नाम से स्थापना कर सकेगी जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य खाद्य निगम शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला, उस उपधारा के अधीन अधिसूचित नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) राज्य खाद्य निगम का प्रधान कार्यालय, राज्य के भीतर ऐसे स्थान में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम के कृत्यों में से उनका, जो वह निगम उसे प्रत्यायोजित करे, संपादन कर सकेगा।

18. राज्य खाद्य निगम की पूंजी—(1) राज्य खाद्य निगम की पूर्ति दस करोड़ रुपयों से अनधिक इतनी धनराशि होगी जितनी केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम से परामर्श के पश्चात्, नियत करे।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे परामर्श के पश्चात्, समय-समय पर, राज्य खाद्य निगम की पूंजी इतनी तक और ऐसी रीति से बढ़ा सकेगी जो कि वह सरकार अवधारित करे।

(3) ऐसी पूंजी की—

(क) संसद् द्वारा उस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा सम्यक् रूप से विनियोजित किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा, तथा

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा,

ऐसे अनुपात और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, व्यवस्था की जाएगी।

19. राज्य खाद्य निगम का प्रबन्ध—(1) राज्य खाद्य निगम के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड में निहित होगा, जो एक अध्यक्ष, एक महाप्रबन्धक और दस से अनधिक अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो सब भारतीय खाद्य निगम द्वारा, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्, नियुक्त किए जाएंगे।

(2) महाप्रबन्धक—

(क) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो निदेशक बोर्ड उसे सौंपे या प्रत्यायोजित करे ; तथा

(ख) ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों से शासित होगा जो निदेशक बोर्ड, भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से, नियत करे।

(3) निदेशक बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में उत्पादक और उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखते हुए, कारबार के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा और नीति के प्रश्नों पर उसका मार्ग-दर्शन ऐसे अनुदेशों द्वारा होगा जो उसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए जाएं।

(4) यदि कोई सन्देह उठे कि क्या कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो वह विषय केन्द्रीय सरकार को निदेशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) निदेशक बोर्ड के सदस्य, जो महाप्रबन्धक से भिन्न हों, पारिश्रमिक या फीस के रूप में ऐसी धन-राशियां प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित की जाएं :

परन्तु कोई भी शासकीय सदस्य, उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन उसके लिए अनुज्ञात किन्हीं भत्तों से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(6) निदेशक बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और उनकी आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

20. निदेशक बोर्ड के सदस्य के पद के लिए निरर्हता—राज्य खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त होने के लिए और सदस्य होने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित होगा—

(क) यदि वह दिवालिया न्यायनिर्णीत हो या किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो, या उसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया हो, या अपने लेनदारों से शमन कर लिया हो ; तथा अथवा

(ख) यदि वह विकृत-चित्त हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया हुआ हो ; अथवा

COURT BOOK

(ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध हो या किया गया हो जिसमें कि केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो ; अथवा

(घ) यदि वह सरकार के या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया हो ; अथवा

(ङ) अध्यक्ष या महाप्रबन्धक होने की दशा के सिवाय, यदि वह भारतीय खाद्य निगम या किसी राज्य खाद्य निगम का वैतनिक अधिकारी हो ।

21. निदेशक बोर्ड के सदस्यों का हटाया जाना और पदत्याग—(1) भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य निगम से परामर्श के पश्चात् महाप्रबन्धक को, प्रस्थापित हटाए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय उसे पद से हटा सकेगा ।

(2) राज्य खाद्य निगम का निदेशक बोर्ड उस बोर्ड के किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगा जो—

(क) धारा 20 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अधीन हो या हो गया हो ; अथवा

(ख) निदेशक बोर्ड की इजाजत के बिना उसकी तीन से अधिक क्रमवर्ती बैठकों से, उसकी अनुपस्थिति की माफी के लिए बोर्ड की राय में पर्याप्त हेतुक के बिना, अनुपस्थित रहा हो ।

(3) ऐसे बोर्ड का सदस्य अपने पद का त्याग, उसकी लिखित सूचना भारतीय खाद्य निगम को देकर कर सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

22. बैठकें—(1) राज्य खाद्य निगम का निदेशक बोर्ड ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार से (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है) संबंधित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं ।

(2) निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष, या यदि किसी कारण से वह किसी बैठक में हाजिर होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित बोर्ड का कोई अन्य सदस्य, बैठक का सभापतित्व करेगा ।

(3) उन सब प्रश्नों का विनिश्चय, जो निदेशक बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आएं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का, या उसकी अनुपस्थिति में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का, एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

23. अधिकारियों आदि की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें—(1) राज्य खाद्य निगम ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

(2) राज्य खाद्य निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियोजित हर व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा और ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो इस अधिनियम के अधीन उस निगम द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

24. कार्यपालिका समिति और अन्य समितियां—(1) राज्य खाद्य निगम का निदेशक बोर्ड एक कार्यपालिका समिति का गठन कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष ;

(ख) महानिदेशक ; तथा

(ग) निदेशक बोर्ड के तीन अन्य सदस्य, जिनमें से एक अशासकीय व्यक्ति होगा ।

(2) निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होगा ।

(3) निदेशक बोर्ड के साधारण नियंत्रण, निदेशन और अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपालिका समिति, राज्य खाद्य निगम की क्षमता में किसी भी विषय के बारे में कार्य करने के लिए सक्षम होगी ।

(4) निदेशक बोर्ड अन्य ऐसी समितियों का, जो चाहे पूर्णत: बोर्ड के सदस्यों से या पूर्णत: अन्य व्यक्तियों से अथवा भागत: ऐसे सदस्यों से और भागत: अन्य व्यक्तियों से, जैसा वह ठीक समझे, मिलकर बनी हों, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिनका वह विनिश्चय करे, गठन कर सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन गठित समिति ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार से (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है) संबंधित प्रक्रिया के उन नियमों का अनुपालन करेगी जो राज्य खाद्य निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं ।

(6) समिति के सदस्यों को (जो बोर्ड के निदेशकों से भिन्न हों) समिति की बैठकों में हाजिर होने और राज्य खाद्य निगम का कोई भी अन्य कार्य करने के लिए उस निगम द्वारा ऐसी फीसें और भत्ते दिए जाएंगे जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा नियत किए जाएं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

25. बोर्ड के या उसकी समिति के सदस्य द्वारा कुछ दशाओं में मत का न दिया जाना—राज्य खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड का या उसकी समिति का कोई ऐसा सदस्य, जिसका निदेशक बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक के समक्ष विचारार्थ आने वाले विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन-संबंधी हित हो सुसंगत परिस्थितियों के अपने ज्ञान में आने के पश्चात् यथासंभावशीघ्र, ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा और वह प्रकटन, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य बोर्ड या समिति के किसी भी विचार-विमर्श या विनिश्चय में, जो उस विषय की बाबत हो, कोई भाग नहीं लेगा ।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

26. क्रियाकलाप के कार्यक्रम और वित्तीय प्राक्कलनों का निवेदित किया जाना—(1) खाद्य निगम हर एक वर्ष के प्रारम्भ पूर्व आगमी वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलाप के कार्यक्रम का एक विवरण और साथ ही उसकी बाबत वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया विवरण, हर एक वर्ष के प्रारम्भ होने से कम से कम तीन मास पूर्व—

(क) भारतीय खाद्य निगम की दशा में केन्द्रीय सरकार को,

(ख) राज्य खाद्य निगम की दशा में भारतीय खाद्य निगम को,

अनुमोदनार्थ निवेदित किया जाएगा ।

(3) खाद्य निगम की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण और वित्तीय प्राक्कलन, भारतीय खाद्य निगम की दशा में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, अथवा राज्य खाद्य निगम की दशा में भारतीय खाद्य निगम के अनुमोदन से, खाद्य निगम द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

27. खाद्य निगम की उधार लेने की शक्ति—[1][(1) खाद्य निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के प्रयोजन के लिए—

(क) अपने द्वारा धारित खाद्यान्न या अन्य खाद्य पदार्थों के स्टाक पर—

(i) किसी अनुसूचित बैंक से, या

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था से ; या

(iii) किसी अन्य प्राधिकरण, संगठन या संस्था से, या जनता से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे,

अग्रिम धन ले सकेगा या धन उधार ले सकेगा ; अथवा

(ख) ऐसी दरों से ब्याज, बंधपत्र और डिबेंचर पुरोधृत कर सकेगा और उनका विक्रय कर सकेगा जो केन्द्रीय सरकार ऐसे बंधपत्रों या डिबेंचरों के पुरोधरण के समय नियत करे :

[2][परंतु किसी खाद्य निगम द्वारा खंड (ख) के अधीन उधार ली गई रकम किसी भी समय समादत्त पूंजी और धारा 33 के अधीन स्थापित आरक्षित निधि के दस गुणा से अधिक नहीं होगी ।]]

(2) उपधारा (1) के अधीन खाद्य निगम द्वारा लिए गए उधारों और अग्रिम धन की मूल राशि के प्रतिसंदाय और उस पर के ब्याज तथा अन्य आनुषंगिक प्रभारों के संदाय की प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार दे सकेगी ।

[3][(3) खाद्य निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से धन उधार भी ले सकेगा और वह सरकार संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् खाद्य निगम को, ऐसी धनराशि उधार के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर संदत्त कर सकेगी, जो वह सरकार अवधारित करे ।]

28. खाद्यान्न की प्रतिभूति पर खाद्य निगम द्वारा उधार दिया जाना—खाद्य निगम किसी व्यक्ति को, जो खाद्यान्न के उत्पादन में लगा हुआ हो, खाद्यान्न की प्रतिभूति पर या ऐसी अन्य प्रतिभूति पर, जैसी विहित की जाए, उधार या अग्रिम धन ऐसे उत्पादन से सम्बन्धित किसी भी प्रयोजन के लिए दे सकेगा ।

29. फसल के काटे जाने के पश्चात् खाद्यान्न के क्रय के लिए करार करने की शक्ति—(1) खाद्य निगम खाद्य फसलों के किसी भी उगाने वाले से, ऐसी फसल के काटे जाने के पश्चात् खाद्यान्न के क्रय के लिए करार कर सकेगा और किसी ऐसे करार में यह उपबन्ध हो सकेगा कि उगाने वाले को उस निगम द्वारा ऐसे करार के अधीन दी जाने वाली कोई धनराशि, उतनी तक जितनी कि करार में विनिर्दिष्ट की जाए, उगाने वाले द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय अभिकरण को संदेय होगी ।

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 27 की धारा 2 द्वारा (22-5-2001 से) परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1972 के अधिनियम सं० 67 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित बैंक या अन्य वित्तीय अभिकरण, खाद्य फसलों के उस उगाने वाले को, जिसने ऐसा करार किया हो, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी करार के आधार पर, धन उधार दे सकेगा।

COURT BOOK

30. खाद्य निगम द्वारा प्रत्याभूति—खाद्य निगम, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, धारा 29 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी उधार की, तथा अन्य किसी उधार की भी जो खाद्य फसलों के उगाने वाले द्वारा लिया गया हो और जो पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के भीतर प्रतिसंदेय हो, प्रत्याभूति दे सकेगा।

31. खाद्य निगम की निधियां—(1) खाद्य निगम की स्वयं अपनी निधि होगी और उस निगम की सब प्राप्तियां उसमें जमा की जाएंगी तथा उस निगम के सब संदाय उसमें से पूरे किए जाएंगे।

(2) ऐसी निधि, खाद्य निगम के सब प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोजित की जाएगी।

32. निधियों का विनिधान—खाद्य निगम अपनी निधियों का विनिधान केन्द्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में या अन्य ऐसी रीति से, जो विहित की जाएं, कर सकेगा।

33. अधिशेष लाभों का आबंटन—(1) खाद्य निगम एक आरक्षित निधि की स्थापना करेगा, जिसमें हर वर्ष उसके वार्षिक शुद्ध लाभों का ऐसा प्रभाग जो कि वह निगम ठीक समझे, जमा किया जाएगा।

(2) ऐसी आरक्षित निधि के लिए तथा डुबन्त और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण और सब अन्य विषयों के लिए जिनके लिए उपबन्ध, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और निगमित कम्पनियों द्वारा प्राय: किया जाता है, उपबन्ध करने के पश्चात् उसके वार्षिक शुद्ध लाभों के अतिशेष का संदाय,—

(क) भारतीय खाद्य निगम की दशा में, केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा, तथा

(ख) किसी राज्य खाद्य निगम की दशा में, केन्द्रीय सरकार और भारतीय खाद्य निगम को उस अनुपात में किया जाएगा जिसमें उनके द्वारा पूंजी की व्यवस्था की गई हो।

[1][**34. लेखा और संपरीक्षा**—(1) खाद्य निगम उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ-हानि का लेखा और तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप में जैसा केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे, तैयार करेगा।

(2) खाद्य निगम के लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक करेगा और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय, खाद्य निगम द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और खाद्य निगम के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखे की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पेश किए जाने की मांग करने और खाद्य निगम के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित खाद्य निगम के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से निम्नलिखित को अग्रेषित की जाएगी, —

(i) संबंधित खाद्य निगम को ;

(ii) जहां लेखा किसी राज्य खाद्य निगम से संबंधित हो वहां भारतीय खाद्य निगम को ;

(iii) केन्द्रीय सरकार को,

और वह सरकार, उसके पश्चात् यथाशीघ्र, उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।]

35. खाद्य निगमों के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट—(1) खाद्य निगम हर एक वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासंभव शीघ्र केन्द्रीय सरकार को उस निगम के कार्यकरण और कार्यकलाप पर वार्षिक रिपोर्ट देगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, उस रिपोर्ट को और धारा 34 के अधीन प्राप्त [2][भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा उस पर टिप्पणी या उसकी अनुपूर्ति सहित] संपरीक्षा-रिपोर्ट को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा (2-6-2000 से) धारा 34 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1972 के अधिनियम सं० 67 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 6

प्रकीर्ण

36. खाद्य निगम आदि, के कार्य या कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य न होना—(1) किसी खाद्य निगम या उसकी समिति या प्रबन्ध बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही उस खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड या ऐसी समिति या प्रबन्ध बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

(2) किसी खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य की हैसियत में किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कोई भी कार्य निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य नियुक्त होने या सदस्य होने के लिए उसकी निरर्हता के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

37. प्रत्यायोजन—खाद्य निगम, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अध्यक्ष को या निदेशक बोर्ड के अन्य किसी सदस्य को अथवा उस निगम के सचिव या अन्य अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अध्यधीन जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

38. विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा—खाद्य निगम का हर निदेशक, सलाहकार समिति या अन्य समिति का सदस्य, लेखासंपरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी तथा प्रबन्ध बोर्ड और उसके कर्मचारिवृन्द का हर सदस्य अपने कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

39. निदेशकों की क्षतिपूर्ति—(1) खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के और प्रबन्ध बोर्ड के हर सदस्य की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा उपगत उन सब हानियों और व्ययों की बाबत, जो उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम से न हुए हों, निगम द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

(2) खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड का या प्रबन्ध बोर्ड का कोई सदस्य, किसी भी अन्य सदस्य के लिए या उस निगम या प्रबन्ध बोर्ड के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए, या निगम की ऐसी किसी हानि या व्यय के लिए जो निगम की ओर से सद्भावपूर्वक अर्जित की गई या ली गई किसी सम्पत्ति या प्रतिभूति के मूल्य की या उसमें हक की अपर्याप्तता या कमी के, अथवा निगम के प्रति बाध्यताधीन किसी व्यक्ति के दिवाले या सदोष कार्य के, अथवा अपने पद के या उससे सम्बन्धित कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के फलस्वरूप हो, उत्तरदायी नहीं होगा।

40. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए परित्राण—खाद्य निगम के, अथवा उसके निदेशक बोर्ड के किसी सदस्य के, अथवा उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के, अथवा प्रबन्ध बोर्ड के या उसके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य के, अथवा खाद्य निगम या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी हानि या नुकसान के लिए नहीं होगी जो किसी ऐसी बात से हुआ हो या जिसका होना संभाव्य हो और जो कि इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो।

41. अपराध—(1) जो कोई खाद्य निगम की लिखित सम्मति के बिना, उसके नाम का उपयोग किसी विवरण पत्रिका या विज्ञापन में करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, सम्बन्धित खाद्य निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

42. आय-कर, अधि-कर आदि से संबंधित उपबन्ध—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अथवा आय-कर से, अधि-कर से या आय, लाभों या अभिलाभों पर के अन्य किसी कर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के प्रयोजनों के लिए खाद्य निगम को आय-कर अधिनियम, 1961 के अर्थ में एक कम्पनी समझा जाएगा और तद्नुसार वह अपनी आय, लाभों और अभिलाभों पर कर का दायी होगा।

43. खाद्य निगम का परिसमापन—कम्पनियों या निगमों के परिसमापन से सम्बन्धित विधि का कोई भी उपबन्ध खाद्य निगम को लागू नहीं होगा, और उसके सिवाय केन्द्रीय सरकार के आदेश के और ऐसी रीति से, जैसी वह सरकार निदिष्ट करे, समापनाधीन नहीं किया जाएगा।

44. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) निगम के निदेशकों की पदावधि और उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति तथा उनकी नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) सलाहकार समिति का गठन और उसके सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) वे अतिरिक्त कृत्य जिनका सम्पादन निगम कर सकेगा ;

(घ) किसी राज्य खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्यों को देय पारिश्रमिक या फीसें और ऐसे सदस्यों की पदावधि और उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ङ) (खाद्यान्न से भिन्न) वे प्रतिपूर्तियां जिन पर कोई खाद्य निगम उधार या अग्रिम धन दे सकेगा ;

(च) वह रीति जिससे कोई खाद्य निगम अपनी निधियों का विनिधान कर सकेगा ;

(छ) खाद्य निगम द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण और तुलनपत्र का प्ररूप ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

[1][(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

45. खाद्य निगम की विनियम बनाने की शक्ति—(1) खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से उन विषयों के लिए, जिनके लिए उपबन्ध करना इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशाली करने के प्रयोजन से आवश्यक या समीचीन हो, उपबन्ध करने के लिए, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।

[2][(1क) इस धारा के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत, विनियमों को या उनमें से किसी विनियम को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी, किन्तु किसी विनियम को इस प्रकार कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको ऐसा विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।]

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :—

(क) भारतीय खाद्य निगम के सचिव से भिन्न, खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति, सेवा की शर्तें और वेतनक्रम ;

(ख) पूर्वोक्त सचिव से भिन्न, खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण ;

(ग) वे कृत्य और कर्तव्य जो, यथास्थिति, खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक या महाप्रबन्धक को सौंपे या प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे ;

(घ) वे समय और स्थान जिन पर खाद्य निगम या उसकी किसी समिति की बैठक होगी तथा उनमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) वे फीसें और भत्ते जो धारा 14 की उपधारा (6) या धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन समिति के सदस्यों को संदेय हों ;

(च) साधारणतया, खाद्य निगम के कार्यकलाप का दक्षतापूर्ण संचालन ।

(3) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को, जिसे उसने मंजूर किया, विखण्डित कर सकेगी और तदुपरि वह विनियम प्रभावहीन हो जाएगा ।

(4) कोई भी विनियम, जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया जा सकता है, उस निगम के स्थापित होने के तीन मास के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा, तथा कोई भी विनियम, जो किसी राज्य खाद्य निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया जा सकता है, ऐसे राज्य खाद्य निगम के स्थापित होने के तीन मास के भीतर भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाया जा सकेगा ; तथा ऐसे बनाया गया कोई भी विनियम सम्बन्धित खाद्य निगम द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तित या विखण्डित किया जा सकेगा ।

[2][(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाने जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 53 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1982 के अधिनियम सं० 53 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[1][**26. विधिमान्यकरण**—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 45 के अधीन, भूतलक्षी प्रभाव देकर बनाए गए या बनाए गए तात्पर्यित किसी भी विनियम को केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा या कभी भी अविधिमान्य रहा नहीं समझा जाएगा कि ऐसा विनियम भूतलक्षी प्रभाव देकर बनाया गया था तथा तद्नुसार ऐसा प्रत्येक विनियम और उसके अधीन की गई कोई भी कार्रवाई या बात उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम की धारा 45 के उपबंध उन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे जब ऐसा विनियम बनाया गया था या कार्रवाई या बात की गई थी ।]

अनुसूची

(धारा 38 देखिए)

विश्वसतता और गोपनीयता की घोषणा

मैं———————————————————————————————

घोषणा करता हूं कि मैं वफादारी, सच्चाई और अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि, कौशल और योग्यता से उन कर्तव्यों का निष्पादन और पालन करुंगा जो————————————(यथास्थिति) के निदेशक, की————————————

भारतीय खाद्य निगम   खाद्य निगम

समिति के सदस्य, के अधिकारी, कर्मचारी या लेखासंपरीक्षक अथवा भारतीय खाद्य निगम के अधीन———————— में के प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य के रूप में मुझसे अपेक्षित हैं तथा जो मेरे द्वारा धारित उस निगम में के या उसके सम्बन्ध में पद या स्थिति से उचित रूप से सम्बन्धित हैं ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं उक्त निगम के कार्यकलाप से, या उक्त निगम से कोई भी व्यौहार करने वाले किसी भी व्यक्ति के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई जानकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो वैध रूप से उसका हकदार न हो, संसूचित नहीं करूंगा और न संसूचित होने दूंगा, और न मैं किसी ऐसे व्यक्ति को, जो यथापूर्वोक्त वैध रूप से हकदार न हो, उक्त निगम की या उसके कब्जे में की और उक्त निगम के कारबार से या उक्त निगम से कोई भी व्यौहार करने वाले किसी भी व्यक्ति के कारबार से सम्बन्धित किन्हीं भी बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने दूंगा और उन तक उसकी पहुंच होने दूंगा ।

हस्ताक्षर मेरे समक्ष किए   हस्ताक्षर————————————

———

[1] 1982 के अधिनियम सं० 53 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।